



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 321

दर्ज तिथि:-19.05.2025

सरकार

बनाम

उकाराम वगैरह

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-29.09.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 65/2/1.886 है0 मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। है। उक्त रास्ता को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। जिसका प्रस्तावित नक्शा निम्नानुसार है:-

राजस्थान सरकार	NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)	दिनांक : 19/12/2024 06:15:32 PM
जिला : बाड़मेर	तहसील : गुड़ामालानी
पटवारी हल्का : सिंधासवा हरनीयान	ग्राम : प्रेमनगर
भू. अ. नि. क्षेत्र : गुड़ामालानी	

Scale 1:500

खसरा संख्या : 65/2 क्षेत्रफल : 1.8858 Hectare खाता संख्या : 27पुराना खाता संख्या : 24  
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान ]: बा.अव्यव [ 1.8858, 6.32 ]

- 1.) उकाराम पुत्र पनाराम हिस्सा- 1/12 जाति- कलबी सा. सिन्धासवा हरनियान खातेदार
- 2.) कचराराम पुत्र प्रेमराम हिस्सा- 1/3 जाति- कलबी सा. सिन्धासवा हरनियान खातेदार
- 3.) खींदाराम चौधरी पुत्र पनाराम हिस्सा- 1/12 जाति- कलबी सा. सिन्धासवा हरनियान खातेदार
- 4.) गंगाराम पुत्र पुरखाराम हिस्सा- 1/9 जाति- कलबी सा. सिन्धासवा हरनियान खातेदार
- 5.) जीवाराम पुत्र पनाराम हिस्सा- 1/12 जाति- कलबी सा. सिन्धासवा हरनियान खातेदार
- 6.) निम्बाराम पुत्र पुरखाराम हिस्सा- 1/9 जाति- कलबी सा. सिन्धासवा हरनियान खातेदार
- 7.) प्रभूराम पुत्र पुरखाराम हिस्सा- 1/9 जाति- कलबी सा. सिन्धासवा हरनियान खातेदार हिस्सा-1/9 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा RAMJI KA GOL
- 8.) भेराराम पुत्र पनाराम हिस्सा- 1/12 जाति- कलबी सा. सिन्धासवा हरनियान खातेदार

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

29.12.2024  
29.12.24  
सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील  
पटवारी सिंधासवा हरनीयान तहसील - गुड़ामालानी



2. प्रार्थना-पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की शक्तियां भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।
4. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ते को प्रकरण में मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 65/2/1. 886 है0 मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर  
गुड़ामालानी-बाड़मेर